	OFFICE ORDER	Document No.: UPHDB./OO/LEG/01
	विषयः लम्बित वादो की प्रभावी पैरवी के संबंध में।	Revision No.: 00
		Effective Date: 1.4.2004
		Page Page 1 of 3

परिषद द्वारा व परिषद के विरूद्ध प्रचुर मात्रा में वाद माननीय न्यायालयों में लम्बित हैं जिनमें प्रायः यह देखा गया है कि पुराने वादो के निस्तारण में परिषद अधिवक्ताओ तथा संबंधित कार्यालयो द्वारा रूचि न लिये जाने के कारण परिषद हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः इस संबंध में निम्न आदेश दिये जाते हैं:–

1– एक ही विषय से संबंधित वादो का निस्तारण बन्च करा कर किया जाये।

2– सभी वादों को सूचीबद्ध कराकर परिषद अधिवक्ता के माध्यम से उनका शीघ्र निस्तारण कराया जाये। निस्तारित वादो की सूचना विधि अनुभाग (मानीटरिंग), मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाये।

3– उक्त के अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेश में जहां समयबद्ध प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है, उनमें निर्धारित समयावधि में याची का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाना संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। सम्यक उत्तरदायित्व निर्वहन न करने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक 20-3-04 को आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में परिषद अधिवक्ताओं की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक के कार्यवृत्त के क्रम में आवास आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निम्न आदेश दिये जाते हैं :–

1– वादो में प्रति शपथ पत्र तैयार करने हेतु परिषद द्वारा जो प्रस्तरवार आख्या अधिवक्ता को प्रेषित की जाती है उसमें पूर्ण आख्या अधिवक्ता को प्रेषित की जाये। संबंधित अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रस्तरवार आख्या हेतु यदि किन्हीं बिन्दुओं पर कोई सूचना अन्य अनुभागो से प्राप्त की जानी है तो उसे संबंधित अनुभाग से प्राप्त करने के उपरान्त ही पूर्ण प्रस्तरवार आख्या अधिवक्ता को प्रेषित की जाये।

2– माननीय न्यायालय में संस्थित वादो में अधिवक्ता को परिषद की ओर से वकालतनाम निर्धारित प्रारूप पर ही भेजा जाय तथा वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का स्पष्ट नाम व मोहर अंकित की जाये एवं शपथ पत्र व वकालतनामा लिफाफे में रखकर तोड मरोड कर न प्रेषित किया जाये।

Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/LEG/47	A.L.O(Moni)	J.H.C.(Law)	H.C

3– वादों में परिषद अधिवक्ता नियोजित करते समय इसकी सूचना संबंधित वाद की नोटिस प्राप्त करने वाले अधिवक्ता एवं विधि अनुभाग, मानीटरिंग सेल, मुख्यालय को अवश्य प्रेषित की जाये।
उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

परिषद के विरूद्ध योजित अथवा परिषद की ओर से योजित वादों में प्रायः यह देखा गया है कि एक ही सम्पत्ति से संबंधित कई वादों में अलग–अलग अधिवक्ता नियोजित कर दिये जाते हैं तथा समय–समय पर वादों में अधिवक्ता बदल दिये जाते हैं जिसके कारण अधिवक्ताओं मे सामन्जस्य न होने की दशा में माननीय न्यायालय में वादों की पैरवी में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण परिषद का पक्ष सुदृढ रूप से प्रस्तुत नहीं होता है तथा परिषद की छवि धूमिल होती है। इस संबंध में पूर्व निर्गत पत्र संख्या–111/UPHDB/ LEG (HQ)- दिनांक 15-3-2004 के कम में निम्न आदेश दिये जाते हैं :–

1– यदि एक ही सम्पत्ति से संबंधित एक से अधिक वाद हों तो उन सभी वादों में एक ही अधिवक्ता नियोजित किये जाये।

2– ऐसे प्रकरणों में जिनमें एक से अधिक अधिवक्ता नियुक्त हों तो उनमें प्राथमिकता के आधार पर एक अधिवक्ता को रखते हुए शेष अधिवक्ताओं को हटा दिया जाये। सामान्यतः पुराने अधिवक्ता को ही रखा जाये परन्तु यदि उनकी पैरवी सन्तोषजनक नहीं है तो संबंधित कार्यालय का यह दायित्व होगा कि कारण अभिलिखित करते हुए नये अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करायें परन्तु इसकी कार्योत्तर स्वीकृति इस आदेश के एक माह के अन्दर आवास आयुक्त से प्राप्त कर ली जाये।
उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कार्यालय–आदेश संख्या–1581/विधि अनु०/मानी० सेल दिनांक 10-5-2001 द्वारा श्री डी० के० जैन, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–32, गाजियाबाद को उनको आवंटित अन्य कार्यो के साथ निम्न कार्य देखने के आदेश दिये गये थे :–

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग, जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण नई दिल्ली, राष्ट्रीय आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) तथा उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में परिषद के लम्बित वादो में :–

अ– वाद की पैरवी का कार्य।
ब– विधि परामर्शदाता की पूर्व अनुमति से शपथ पत्र एवं प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का कार्य।

स– उपरोक्तांकित वादो नें विधि परामर्शदाता व अन्य अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य।

श्री डी० के० जैन, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–32 का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उनको आवंटित उक्त कार्य अब श्री ए० के० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–22 गाजियाबाद द्वारा उनको आवंटित अन्य कार्यो के साथ देखा जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं। इस संबंध में अन्य अधिकारियो से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित अधिकारियो को अपना सहयोग देगें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/LEG/47	A.L.O(Moni)	J.H.C.(Law)	H.C

पूर्व कार्यालय–आदेश संख्या–1950/विधि अनु०/मानी० सेल, दिनांक 31-7-2003, कार्यालय आदेश संख्या–2007/विधि अनु०/मानी० सेल दिनांक 2-9-2003 एवं कार्यालय आदेश संख्या–2082/विधि अनु०/मानी० सेल दिनांक 30-9-2003 में संशोधन करते हुए मै, विद्यानन्द गर्ग, आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ० प्र० अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–12 (2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा–88 (1) के अन्तर्गत निम्न अधिकार प्रदान करता हैः–

1– परिषद की ओर से वाद संस्थित करनें, परिषद के विरूद्ध दायर वादो का विरोध करने, वकालतनाम हस्ताक्षरित करने, अधिवक्ताओं के फीस बिल, न्याय शुल्क, विविध व्यय का नियमानुसार भुगतान करने एवं विभिन्न वादो से संबंधित मुख्यालय पर अपेक्षित समस्त कार्यवाही को संशोधित करने के लिये अपर आवास आयुक्त श्री रिजवी को उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधानित करता हूँ।

2– परिषद के भूमि अर्जन एवं सम्पत्ति प्रबन्ध से संबंधित वादो में परिषद की ओर से वाद संस्थित करने, परिषद के विरूद्ध दायर वादो का विरोध करने, वकालतनामा हस्ताक्षरित करने, अधिवक्ताओं के फीस बिल, न्याय शुल्क, विविध व्यय का नियमानुसार भुगतान करने एवं सम्पत्ति एवं भूमि अर्जन वादो से संबंधित मुख्यालय पर अपेक्षित समस्त कार्यवाही को संशोधित करने के लिये अपर आयुक्त एवं सचिव श्रीयुत श्रीपाल वर्मा को उक्त धारा के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधानित करता हूँ।

3– परिषद के विरूद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पादित किये जा रहे परिषद के कार्यो से संबंधित वाद संस्थित करने, परिषद के विरूद्ध वादों का विरोध करने, वकालतनामा हस्ताक्षर करने, अधिवक्ताओं के फीस बिल, न्याय शुल्क, विविध व्यय का नियमानुसार भुगतान करने, वाद पत्र व अभिकथन, आपत्ति का ज्ञापन, संदर्भ पुनरीक्षण का कार्य विभिन्न कार्यालयों के निम्नानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनिधानित करता हूँ :–

(क)	वृत्त कार्यालय से संबंधित	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को।
(ख)	खण्ड कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, उप खण्ड	**अधिशासी अभियन्ता**/सहायक अभियन्ता/उप खण्ड प्रभारी को।
(ग)	सहायक आवास आयुक्त कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय।	संबंधित सहायक आवास आयुक्त एवं सम्पत्ति प्रबन्धकों को।

Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/LEG/47	A.L.O(Moni)	J.H.C.(Law)	H.C

यदि किसी समय कार्यालय में उपरोक्त पदों का कोई अधिकारी तैनात/उपलब्ध नहीं है तो उस दशा में वाद से संबंधित यह कार्य उनके कार्यालय के ऊपर नियंत्रण रखने वाले कार्यालय से संबंधित उपरोक्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4- माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोक आयुक्त, राज्य आयोग, नेशनल फोरम, प्रदेश एवं राष्ट्र स्तरीय अन्य मा. न्यायालयों में लम्बित वादों में शपथ पत्र संबंधित आवास आयुक्त, सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्धक, संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता अथवा उनके उच्च अधिकारियों द्वारा ही निर्धारित समयावधि में दाखिल किया जाना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त याचिकाओं में विरोध करने की अनुमति तथा वकालतनामा हस्ताक्षरित करवाने की कार्यवाही मुख्यालय द्वारा संबंधित अनुभागों में स्थापित विधि कोष्ठ के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी, न कि खण्ड या सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के स्तर पर। सामान्य स्थिति में वकालतनामा अपर आवास आयुक्त श्री रिजवी द्वारा तथा भूमि अर्जन एवं सम्पत्ति प्रबन्ध से संबंधित वादों में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव श्रीयुत श्रीपाल वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा परन्तु उनकी अनुपस्थिति में यह अधिकार मुख्यालय पर उपलब्ध संयुक्त आवास आयुक्त को स्वतः हस्तान्तरित हो जायेगें।

5- उ.प्र. के विभिन्न जिला एवं जनपद-स्तरीय न्यायालयों एवं जिला फोरम में शपथ पत्र संबंधित सम्पत्ति प्रबन्धक तथा संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा उनके ऊपर के सक्षम अधिकारी स्तर से पूर्व अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित समय अवधि में दाखिल किया जाना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा. न्यायालयों में शपथ पत्र उपरोक्त वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दाखिल नहीं किया जायेगा। यह उपरोक्त अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

6- इसी प्रकार लेखानुभाग से संबंधित वाद जो मा. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ पीठ/अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, उनमें प्रति शपथ पत्र/वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने हेतु वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्परीक्षण अधिकारी को उक्त धारा के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधानित करता हूँ।

7- मुख्य वास्तुविद नियोजक कार्यालय से संबंधित वाद जो मा. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ पीठ/अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, उनमें प्रति शपथ पत्र/वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्य वास्तुविद एवं वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक को उक्त धारा के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधानित करता हूँ।

8- अभियन्त्रण से संबंधित आरबीट्रेशन तथा अन्य वाद जो मा. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ पीठ/अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, उनमें प्रति शपथ पत्र/वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) को उक्त धारा के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधानित करता हूँ।

Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/LEG/47	A.L.O(Moni)	J.H.C.(Law)	H.C

9- विशेष परिस्थितियों में वाद वापस लेने एवं समझौता करने का अधिकार अपर आवास आयुक्त श्री रिजवी, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, श्रीयुत श्रीपाल वर्मा, समस्त संयुक्त आवास आयुक्त, उप आवास आयुक्त, अधीक्षण अभियन्ता को इस शर्त के अधीन प्रतिनिधानित करता हूँ कि वे वाद वापसी एवं समझौते के लिये आवास आयुक्त की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वादों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति परिषद में स्वीकृत पैनल में से ही की जायेगी और इस व्यवस्था में विशेष परिस्थिति में विचलन के लिये आवास आयुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

एतद्द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ.प्र. अधिनियम संख्या-1, 1966 की धारा-12(2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विद्यानन्द गर्ग, आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ उक्त अधिनियम की धारा-89 के अधीन निर्गत शक्तियों को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त, समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक आवास आयुक्त को प्रतिनिधानित करता हूँ।

एतद्द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ.प्र. अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-12(2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विद्यानन्द गर्ग, आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ उक्त अधिनियम की धारा-73 के अधीन दण्डनीय अपराध के वास्ते किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, जो परिषद अधिनियम की धारा-23, 24 या 35 के प्राधिकारों का उल्लंघन करने, किसी भवन का निर्माण या पुनः निर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करता है/करते हैं, के विरूद्ध दण्डाधिकारी के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा-79 के अन्तर्गत शिकायत संस्थित कराने के कत्वर्य एवं अधिकार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के समस्त अधिशासी अभियन्ता, समस्त प्रभारी अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, समस्त सहायक अभियन्ता (जहाँ स्थानीय रूप से अधिशासी अभियन्ता नहीं रहते हैं) समस्त उप आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त, समस्त सहायक आवास आयुक्त, समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत परिषद हित में एतद्द्वारा प्रतिनिधानित करता हूँ।

एतद्द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ.प्र. अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-12(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विद्यानन्द गर्ग, आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम की धारा-82 व 83 के अधीन शासकीय नोटीफिकेशन संख्या-5071/37-2-6/एच.बी./(7) दिनांक 14.3.73 के फलस्वरूप प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत समस्त उप आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/अधीक्षण अभियन्ता/अधशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/समस्त सम्पत्ति प्रबन्धकों/उप खण्ड प्रभारी/सहायक आवास आयुक्त को क्रमशः वृत्त, खण्ड, उपखण्ड में स्थित परिषद की समस्त योजनाओं में परिषद में प्रयोगार्थ इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित करता हूँ कि उक्त अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को इन आदेशों के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन पर पुनरीक्षित एवं संशोधन आवास आयुक्त द्वारा ही किये जा सकेगें।

Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/LEG/47	A.L.O(Moni)	J.H.C.(Law)	H.C

माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने का 90 दिन का समय होता है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि अपील दाखिल करने हेतु आवश्यक अभिलेख तथा कोर्ट फीस परिषद अधिवक्ताओं को विलम्ब से प्राप्त कराई जाती है, जिससे कि अपील दायर करने की समयसीमा समाप्त हो जाती है तथा परिषद को अनावश्यक रूप से लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करना पडता है। कभी–कभी विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने की स्थिति में परिषद को अपूर्णनीय क्षति होती है व आवश्यक स्थगन आदेश प्राप्त न होने के कारण आर्थिक क्षति भी होती है।

अतः आदेशित किया जाता है कि परिषद द्वारा अपील दायर करने की स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त कोर्ट फीस का भुगतान करने सम्बन्धी कार्यवाही खण्ड कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता द्वारा नियमानुसार गणना चेक करके की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल से प्रभावी माना जायेगा।

जिला स्तरीय एवं उच्च न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों में परिषद की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस से संबंधित कार्यालय आदेश संख्या–368/विधि अनु० दि० 10-5-2000, संख्या–2231/स०वि०अ०(मानी०) दि० 5-12-2000 तथा कार्यालय आदेश संख्या–1797/विधि अनु०/स०वि०अ० दि० 23-5-2001 में एकरूपता लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकृति के वादो में दिनांक 1-4-2000 से निम्न लिखित दरों से फीस भुगतान करने की स्वीकृत आवास आयुक्त (म०) द्वारा प्रदान कर दी है जो कि निम्नवत है :–

1- <u>सिविल तथा भूमि अर्जन वाद</u> — रू० 1250/- से रू0 2250/- तक

(क)	7 वर्ष तक अनुभव वाले अधिवक्ता	रू० 1250/-
(ख)	15 वर्ष तक अनुभव वाले अधिवक्ता	रू० 1750/-
(ग)	15 वर्ष से अधिक अनुभव वाले अधिवक्ता	रू0 2250/-

2- <u>वाद निगरानी /अपील हेतु</u>

(क)	यदि एक पक्षीय निर्णय वाद बिन्दु निर्धारित होने से पूर्व हो जाये।	उपरोक्त फीस का 1/3 अनुभव के आधार पर।
(ख)	यदि एक पक्षीय निर्णय वाद बिन्दु निर्धारित होने के पश्चात हो जाये।	1/3 फीस अनुभव के आधार पर।
(ग)	यदि एक पक्षीय निर्णय होकर सुलह हो जाये/वाद वापस लग जाये या अदम पैरवी में खारिज हो जाये तो मूल वाद में निर्धारित फीस की एक तिहाई फीस देय होगी।	1/3 फीस अनुभव के आधार पर

<u>सी० पी० सी० के आर्डर 9 रूल 9 व आर्डर 9 रूल 13 के मामलों में :–</u>

पी०पी० एक्ट के वाद	रू० 1000/–
यदि प्रतिवादी बकाया धनराशि जमा कर सुलह कर ले तो आधी फीस	रू० 500/–

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत रेफरेन्स में अधिवक्ता शुल्क अधिवक्ता के अनुभव को को द्वष्टि में रखते हुए/यदि एक एवार्ड के अन्तर्गत कई रेफरेन्स हो तो प्रथम लीडिंग केस की जो फीस हो, उसकी 1/3 फीस अन्य की होगी।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के समक्ष मूल अभिनिर्णय स्टेज पर। रू० 750/-

धारा 28-ए के अन्तर्गत वाद। रू० 750/-

3- श्रम वाद

(क)	श्रम न्यायालय/आद्यौगिक ट्रिब्युनल में संदर्भित एडजूडीकेशन वाद	रू० 1250/-
(ख)	कन्सीलिएशन वादो में विधिक प्रतिनिधि अधिवक्ता हेतु।	रू० 625/-
(ग)	आज्ञप्ति डिग्री निष्पादन।	रू० 625/-
(घ)	विवाचक के समक्ष परिषद पक्ष रखने व पैरवी करने हेतु।	रू० 300/- प्रतिदिन
(ङ)	तीन धन्टे से कम अवधि होने पर ।	रू० 150/-
(च)	पूरे वाद की अधिकतम फीस।	रू० 3000/-

4- फौजदारी वाद

(क) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत फौजदारी वाद में। रू० 1000/-

(ख) यदि अभियुक्त के विरूद्ध चार्ज से पूर्व वाद खारिज हो या अतिक्रमण हटा लिया जाता है तो सम्पूर्ण फीस का 1/3 भाग चार्ज लगने के वाद केस वापस होने पर 1/2 फीस देय होगी।

5- राजस्व वाद	रू० 1000/-
6- उ० प्र० लोक सेवा अधिकरण के वाद	रू० 2000/-
7- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के वाद	रू० 2000/-
8- जिला उपभोक्ता संरक्षण के वाद	रू० 750/-
9- इजरा वाद	उपरोक्त की 1/2 फीस।
10- राज्य आयोग	रू० 1000/-

<u>माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वादो में देय फीस का विवरण :–</u>

<u>रिट याचिका</u>

(क) रिट याचिका में परिषद द्वारा रू० 2400/- प्रति रिट तथा 15% क्लर्केज दिया जाना प्रस्तावित है।

(ख) रिट याचिका दाखिल करते समय या रिट याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने पर अधिवक्ता को 1/3 फीस देय होगी और 2/3 फीस रिट का अन्तिम निर्णय होने के पश्चात फेसले की नकल उपलब्ध कराने पर देय होगी।

(ग) ऐसी रिट याचिकाये जो कि पूर्व में किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा तैयार की गई हो या जिन याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र पूर्व में अन्य अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया है, किसी कारणवश अन्य अधिवक्ता को हस्तांतरित होती है तो ऐसी स्थिति में वकालतनामा दाखिल करते समय कुल फीस का 1/5 अधिवक्ता को देय होगा।

(घ) विपक्षी द्वारा दाखिल जो रिट याचिकाये एडमीशन स्टेज पर खारिज हो जाती है, उनमें परिषद अधिवक्ता को 1/3 फीस देय होगी तथा जो रिट याचिकाये परिषद के विरूद्ध स्वीकार कर ली जाती है उनमें परिषद अधिवक्ता को 1/5 फीस देय होगी।

<u>प्रथम अपील</u>

भूमि अर्जन संबंधी प्रथम अपील जिसका मूल्यांकन 20 लाख रूपये तक है उसमें अधिवक्ता की फीस हाई कोर्ट रूल्स के नियम 16 अध्याय 2 के अनुसार अधिवक्ता फीस देय होगी।

रूपया 20 लाख से ऊपर प्रत्येक मूल्यांकन धनराशि के लिये भी उक्त हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार अधिवक्ता फीस देय होगी परन्तु यह फीस किसी भी दशा में रू० 30,00/- से अधिक नहीं होगी।

प्रथम अपील (भूमि अर्जन) में उक्तानुसार फीस देय होगी परन्तु अपील दाखिल करते समय यदि धारा- 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ है तो 1/6 फीस स्थगन आदेश प्राप्त करने की बाद दी जायेगी। यदि प्रथम अपील दाखिल करने के साथ ही स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाता है तो 1/3 फीस देय होगी, शेष 2/3 फीस या 5/6 फीस अन्तिम निस्तारण के पश्चात देय होगी।

<u>आयकर</u>	रू० 1500/-
<u>बिक्रीकर</u>	रू० 1500/-

<u>माननीय उच्चतम न्यायालय</u>

(1)	एडवोकेट आन रिकार्ड	अध्ययन, तैयारी, ड्रफ्टिंग व फाइलिंग।	रू० 5500/– व 15 प्रतिशत क्लर्केज व वास्तविक विविध व्यय।

(2)	प्रतिदिन उपस्थिति हेतु फीस दर	रू० 2200/-
(3)	अधिवक्ता को उक्त फीस मात्र लगातार तीन तिथियों तक देय होगी उसके पश्चात उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस में उक्त की एक तिहाई फीस दर देय होगी।	
(4)	यदि वे स्वतंत्र रूप से बिना वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता के अन्तिम बहस कर रहे हैं या ऐसी कोई तिथि जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र, अन्तरिम प्रार्थना पत्र अथवा सब्स्टीट्यूशन आदि पर बहस होती है।	रू० 5000/-
(5)	यदि वे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बहस कर रहे है तो उनसे कान्फ्रेन्स आदि करने की फीस तथा अन्तिम बहस की फीस सहित।	रू० 5000/-

<u>बन्च वादों में</u>

(1)	यदि एक प्रकृति की कई एस०एल०पी या अपील आदि हैं तो उस दशा में प्रथम एस०एल०पी० / अपील में।	रू० 5500/- तथा 15% क्लर्केल व वास्तविक विविध व्यय।
(2)	शेष प्रति केस में मुख्य वाद का	एक तिहाई फीस तथा 15% क्लर्केज व वास्तविक विविध व्यय।
(3)	प्रतिदिन उपस्थिति हेतु फीस दर। अधिवक्ता को उक्त फीस मात्र लगातार तीन तिथियो पर देय होगी उसके पश्चात उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस में उक्त की एक तिहाई फीस दर देय होगी।	रू० 2200/-
(4)	यदि वे स्वतंत्र रूप से बिना वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता के अन्तिम बहस कर रहे है या ऐसी कोई तिथि जिसमें स्थगन प्रार्थना, अन्तरिम प्रार्थना पत्र अथवा सब्स्टीट्यूशन आदि पर बहस होती है।	रू० 5000/-
(5)	यदि वे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बहस कर रहे है तो उनसे कान्फ्रेन्स आदि करने की फीस तथा अन्तिम बहस की फीस सहित।	रू० 5000/-

(6) बन्च वादो में प्रथम एस०एल०पी० या अपील में प्रथम वाद में प्रतिदिन उपस्थित लगातार तीन तिथियो में शेष वादो में उक्त की एक तिहाई फीस। रू० 2200/-

<u>माननीय एम०आर०टी०पी० / नेशनल फोरम</u>

1– अधिवक्ता अध्ययन,तैयारी, ड्राफ्टिंग व फाइलिंग — रू० 4000 / – व 15% क्लर्केज तथा विविध व्यय

2– प्रतिदिन उपस्थिति — रू० 1100 / –

3– स्वतंत्र रूप से प्रतिदिन उपस्थिति यदि वे स्वतंत्र रूप से बिना वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता के अन्तिम बहस कर रहे है या ऐसी कोई तिथि जिसमें स्थगन प्रार्थना, अन्तरिम प्रार्थना पत्र अथवा सब्स्टीट्यूशन आदि पर बहस होती है। — रू० 3500/-

4– सीनियर के साथ उनसे कान्फ्रेन्स आदि की फीस अन्तिम बहस की फीस के साथ। — रू० 3500/-

नोटः– (1) उपरोक्त के अन्तर्गत फीस के अतिरिक्त 15% क्लर्केल जार्चेज व वास्तविक विविध व्यय देय होगा।

(2) सभी वाद में (रिट छोडकर) प्रति शपथ पत्र / जवाब दावा दाखिल करने पर कुल वाद की आधी फीस, क्लर्केल चार्जेज का आधा तथा विविध व्यय का भुगतान होगा, शेष भुगतान बाद में निर्णय के उपरान्त किया जायेगा।

(3) अपील या निगरानी में मूल वाद में देय फीस के बराबर फीस देय होगी।

(4) पुर्नविलोकन (रिव्यू) में मूल वाद की आधी फीस देय होगी।

(5) अवमानना वादो में मूल वाद के बराबर फीस देय होगी।

(6) कैवियेट दाखिल करने की कोई फीस देय नहीं होगी वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(7) यदि किसी भी वाद, याचिका, अपील, विशेष अनुज्ञप्ति याचिका में किसी न्यायालय के अधिवक्ता को सम्बन्धित प्रकरण के लम्बन के दौरान हटाया जाता है तो उसे संबंधित

केस की उसी स्टेज तक की फीस का भुगतान देय होगा, परवर्ती नियुक्त अधिवक्ता को उसके पश्चात अवशेष फीस देय होगी।

(8) यदि विपक्षी पक्षकार ने परिषद के विरूद्ध अपील दाखिल की है तो मा० न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल होने के पश्चात अधिवक्ता को कुल फीस का 1/3 भाग देय होगा। फीस की शेष धनराशि अन्तिम निर्णय के बाद देय होगी।

(9) विशेष परिस्थितियो में आवास आयुक्त अपने विवेक के अनुसार अधिवक्ता द्वारा मांगी गई निर्धारित फीस से अधिक फीस दिये जाने का निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगे।